कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1676 / 11–सी–FP/UP/Min/24551/2017, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 14 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी / यू0पी0 / 05 / 34 / 2022 / एफ0सी0 / 25, दिनांक 12.04.2022, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0–2947 / 11–सी–FP/UP/Min/24551/2017, दिनांक 13.04.2022 एवं आपका पत्रांक–1560 / मी0क्षे0 / 33, दिनांक 31.10.2022

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31.10.2022 के द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 10.11.2022 को उपलब्ध कराया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त निम्न कमियों / अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0–01 के निराकरण के क्रम में संलग्न किया गया CA स्थल की kml file पुनः प्रस्ताव सं0–41830 / 2019 के CA स्थल को ओवरलेप कर रहा है। अतः सही CA स्थल का चयन कर इससे सम्बन्धित अभिलेख यथा Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet, kml file, प्राक्कलन एवं उपयुक्तता प्रमाण एवं आई0टी0 द्वारा संशोधित DSS Analysis प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का डिलिट कर संशोधित ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0–04 के निराकरण के क्रम में संलग्न किया गया मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र के सभी पृष्ठों पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं0–06 के निराकरण के क्रम में संलग्न किया गया लागत लाभ विश्लेषण में संशोधित एन0पी0वी0 की दर गलत ली गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर 1357110 रू0 प्रति हे0 की से गणना कर लागत लाभ विश्लेषण संलग्न करें एवं पूर्व का लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाइन भाग–1 एवं ऑनलाइन भाग–2 से डिलिट कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
4. भारत सरकार की आपत्ति सं0–07 के निराकरण के क्रम में Reclamation plan प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
5. भारत सरकार की आपत्ति सं0–08 के निराकरण के क्रम में Wildlife Management plan & Conservation Plan प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
6. भारत सरकार की आपत्ति सं0–11 के निराकरण के क्रम में संलग्न अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
7. भारत सरकार की आपत्ति सं0–13 के निराकरण के क्रम में संलग्न अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
8. भारत सरकार की आपत्ति सं0–18 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार द्वारा वांछित मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
9. उपरोक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित अभिलेखों की एक पी0डी0एफ0 फाइल एवं संशोधित CA स्थल की kml file पेनड्राइव में अपलोड कर संलग्न करें।

अतः उक्त इंगित कमियों का निराकरण कराते हुये भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा की गयी आपत्तियों का पूर्ण बिन्दुवार निराकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को शीध्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1676 / 11–सी–FP/UP/Min/24551/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C

Acy-1443